

पूर्वात्तर रेलवे  
अधिसूचना सं० 01/2019

विषय-रेलवे कर्मचारियों/बाहरी उपभोक्ताओं/अन्य सरकारी विभागों/सोशल आर्गेनाइजेशन/ केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी/जी.आर.पी. कर्मचारी/केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य सरकारी विद्यालयों को आपूर्ति की जा रही विद्युत दरों का पुनरीक्षण।

उपरोक्त विद्युत दरों/लखनऊ द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 05.09.2019 के द्वारा विद्युत दरों में किये गये पुनरीक्षण के फलस्वरूप एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत दरों में निम्नवत संशोधन/वृद्धि की जाती है।

निम्न दरों पर लेखा विभाग की वित्तीय सहमति एवं मंडल रेल प्रबन्धक/इज्जतनगर महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

1.रेलवे कर्मचारियों/केन्द्रीय विद्यालय/अन्य सरकारी विद्यालय एवं जी.आर.पी. कर्मचारियों के लिए।

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह			इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट	
टाइप- I	=1.0कि०वा०	रु.110.00	150 यूनिट/माह तक	= रु.5.50 प्रति यूनिट
स्पेशल टाइप- I से टाइप- II तक	= 2.0कि०वा०	रु.220.00	151से 300 यूनिट/माह तक	=रु 6.00 प्रति यूनिट
टाइप- III	= 3.0कि०वा०	रु.330.00	301 से 500 यूनिट/माह तक	=रु.6.50 प्रति यूनिट
टाइप IV	=5.0 कि०वा०	रु.550.00	501 यूनिट/माह से अधिक	=रु. 7.00 प्रति यूनिट
टाइप V	=8.0कि०वा०	रु.880.00		

2.बाहरी उपभोक्ताओं के लिए (गैर सरकारी)।

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह	इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट	
रु 300.00 प्रति कि.वा.प्रतिमाह	प्रथम 1000 यूनिट तक	रु0 11.55 प्रति यूनिट
	अगले 1001 से 2000 यूनिट तक	रु0 11.90 प्रति यूनिट
	2001 यूनिट से अधिक पर	रु0 12.25 प्रति यूनिट
	(उक्त दरों में 40 प्रतिशत: सर्विस प्रभार सम्मिलित है।)	

3.केन्द्रीय विद्यालय , अन्य सरकारी विद्यालय एवं अन्य सरकारी विभागों के लिए।

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह	इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट	
रु 300.00 प्रति कि.वा.प्रतिमाह	प्रथम 1000 यूनिट तक	रु0 10.93 प्रति यूनिट
	अगले 1001 से 2000 यूनिट तक	रु0 11.26 प्रति यूनिट
	2001 यूनिट से अधिक पर	रु0 11.59 प्रति यूनिट
	(उक्त दरों में 32.5 प्रतिशत: सर्विस प्रभार सम्मिलित है।)	

4.सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन आदि के लिए

मान्यता प्राप्त यूनियनों, मनोरंजन संस्थानों ,अधिकारी क्लबों एवं टेनिस कोर्ट पर लागू दरें।

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह	इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट
टाइप- I	मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा 50 यूनिट तक दर रु0 5.50 प्रति यूनिट
स्पेशल टाइप- I से टाइप- II तक	51 से 1000 यूनिट तक रु0 11.55 प्रति यूनिट
टाइप- III	1001 से 2000 यूनिट तक रु0 11.90 प्रति यूनिट
	2001 से अधिक यूनिट पर रु0 12.25 प्रति यूनिट
टाइप IV	मनोरंजन संस्थान,अधिकारी क्लब टेनिस कोर्ट के लिय निर्धारित अधिकतम सीमा 150 यूनिट तक दर रु0 5.50 प्रति यूनिट
टाइप V	इससे अधिक खपत पर दरें।
	151 से 1000 यूनिट प्रतिमाह तक रु0 11.55 प्रति यूनिट
	1001 से 2000 यूनिट तक रु0 11.90 प्रति यूनिट
	2001 से अधिक यूनिट पर रु0 12.25 प्रति यूनिट
(उक्त दरों में 40 प्रतिशत: सर्विस प्रभार सम्मिलित है।)	

5. विशेष अवसरों पर रेलवे मनोरंजन संस्थानों तथा रेल परिसर में दिये जाने वाले अस्थायी विद्युत कनेक्शन के हेतु।  
रेलवे कर्मचारियों के लिये-


विवरण	इनर्जी चार्ज
विशेष अवसरों पर 20 कि०वा० भार तक प्रतिदिन।	रु० 4750.00 प्रतिदिन 20 कि०वा० से अधिक उपयोग करने पर रु० 100.00 प्रति कि०वा० प्रतिदिन अतिरिक्त।

6. विशेष अवसरों पर रेलवे मनोरंजन संस्थानों तथा रेल परिसर में दिये जाने वाले अस्थायी विद्युत कनेक्शन के हेतु।  
बाहरी पार्टियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये-


विवरण	इनर्जी चार्ज
विशेष अवसरों पर 20 कि०वा० भार तक प्रतिदिन।	रु० 4750.00 सर्विस प्रभार 40 % = रु० 1900.00 योग = रु० 6650.00 20 कि०वा० से अधिक उपयोग करने पर रु० 140.00 प्रति कि०वा० प्रति दिन अतिरिक्त।

नोट:-उ.प्र.शासन की अधिसूचना सं. 1845/XXIV-P-3-2012 दिनांक 13.09.2012 के अनुसार इनर्जी चार्ज प्लस फिक्सड चार्ज के योग का 5 प्रतिशत प्रति माह विद्युत कर अलग से देय होगा। (अस्थायी विद्युत कनेक्शन को छोड़कर)

उक्त पर लेखा विभाग की वित्तीय सहमति एवं मंडल रेल प्रबन्धक/इज्जतनगर महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।  
यह दरें सार्वजनिक सूचना दिनांक 05.09.2019 के 7 दिन बाद से प्रभावी होगी।

  
18/12/19  
(समंविड़/सा०/इज्जतनगर)  
कृते वरि० मंडल विद्युत इंजीनियर/सा०  
इज्जतनगर।  
दिनांक- 17.12.2019  
19

- सं० वि/65/विद्युत दर/इज्जतनगर/ 4620  
प्रतिलिपि:-सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
1. महाप्रबन्धक/विद्युत/गोरखपुर।
  2. महाप्रबन्धक/कामिक/गोरखपुर।
  3. वित्त सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी/गोरखपुर।
  4. वरिष्ठ मंडल लेखाधिकारी/इज्जतनगर।
  5. समस्त मंडल अधिकारी/इज्जतनगर।
  6. मं० रे० प्र०/लखनऊ, बनारस
  7. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/इज्जतनगर।
  8. मण्डल लेखा परीक्षाधिकारी/इज्जतनगर।
  9. वरिष्ठ मण्डल लेखाधिकारी/इज्जतनगर।
  10. उपमंविड़/कार./इज्जतनगर।
  11. वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त रे० सु० व०/इज्जतनगर।
  12. सहायक इंजीनियर/इज्जतनगर, काशीपुर, फतेहगढ़
  13. समस्त सी.से.ई/वि/इज्जतनगर मण्डल।
  14. मण्डल मन्त्री/नरमू./इज्जतनगर।

  
18/12/19  
(समंविड़/सा०/इज्जतनगर)  
कृते वरि० मंडल विद्युत इंजीनियर/सा०  
इज्जतनगर।

  
17/12/19